

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2003 (फाल्गुन 2, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पुनःकृत: चितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बिसालाल सिंह, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ.सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, बैतुल जिले के ग्राम गुगुरैल की महिला सरपंच द्वारा रिश्वत की मांग से क्षुब्ध होकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरेन्द्र बिरघरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, कुंवर विजय शाह, सदस्य, हरसुद नगर में इंदिरा सागर बांध की सुरक्षा धीवार बनाने का विरोध कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ.आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, कटनी जिले के कैमोर स्थित इंटरनेट एक्सेस लिमिटेड के श्रमिकों को कार्य से हटाए जाने की ओर राज्यमंत्री क्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री मुंशीलाल, सदस्य, ग्वालियर जिले के सूखा राहत योजनाओं का गेहूँ बाजार में बेचे जाने की ओर राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

### 4. अशासकीय संकल्प

45 मि.

(1) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -  
"सदन का यह मत है कि पंचायत के अन्य कर्मचारियों की भांति पंचायत कर्मियों की सेवा की सुरक्षा की दृष्टि से सेवा शर्तों में संशोधन किया जाये."

1 घंटा

(2) श्री तेजसिंह सेधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -  
"सदन का यह मत है कि समस्त धर्मों में वर्णित अच्छी बातों का तथा नैतिक शिक्षा का समावेश स्कूल शिक्षा स्तर तक के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य किया जावे ताकि नैतिक चरित्र से युक्त एवं साम्प्रदायिक विद्वेष से मुक्त नई पीढ़ी तैयार हो सके."

45 मि.

(3) सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -  
"सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त जिला थिकित्सालयों में अभिवार्य रूप से ब्लड बैंक स्थापित किये जायें."

भोपाल :  
दिनांक : 20 फरवरी, 2003

डॉ.ए.के. पर्यायी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

कोई  
कोई  
कोई